

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

संख्या 58/8886

दिनांक 24/06/2026

ग्राववि0 07 (बीबी-जी राम जी)-07/2026

विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 15 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसरण में, बिहार सरकार एतद द्वारा राज्य स्तरीय संचालन समिति के गठन निम्नरूपेण की जाती है :

राज्य स्तरीय संचालन समिति

1. समिति का नाम एवं स्थापना

- i- इस समिति का नाम "राज्य स्तरीय संचालन समिति" (जिसे आगे "राज्य संचालन समिति" कहा जाएगा) होगा।
- ii- राज्य संचालन समिति की स्थापना विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत की जाती है।
- iii. राज्य संचालन समिति का मुख्यालय पटना, बिहार में होगा।

2. राज्य संचालन समिति की संरचना एवं सदस्यता

राज्य संचालन समिति बिहार के मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

क्रम सं०	पद/नामांकन	समिति में भूमिका
i	मुख्य सचिव, बिहार सरकार अथवा अपर मुख्य सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी	अध्यक्ष
ii	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
iii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
iv	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
v	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
vi	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
vii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
viii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
ix	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य



x	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
xi	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
xii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग	सदस्य
xiii	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	सदस्य
xiv	बिहार सरकार द्वारा निर्धारित विषय-विशेषज्ञ	सदस्य
xv	तकनीकी या शोध संस्थाओं के प्रतिनिधि (बिहार सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
xvi	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
xvii	आयुक्त, विकसित भारत जी राम जी योजना	सदस्य-सचिव

3. राज्य संचालन समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व

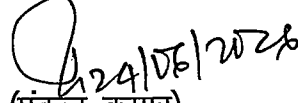
विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के अध्याय V की धारा 9(3) के अनुसार राज्य संचालन समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :

- क) राज्य-भर में योजना-निर्माण और अभिसरण (कन्वर्जेंस) की निगरानी करना।
- ख) जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करना तथा विलंब, कमियों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- ग) राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति के साथ नियमित समन्वय करना एवं केन्द्र के दिशा-निर्देशों का राज्य स्तर पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।
- घ) राज्य स्तर पर डिजिटल प्रणालियों, अनुश्रवण व्यवस्थाओं और प्रक्रिया-सुधारों को समर्थन प्रदान करना।
- ङ) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) एवं विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के साथ कार्यों के अभिसरण की निगरानी करना।

4. व्यापकता / असंगति

यह अधिसूचना विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 तथा विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के प्रावधानों के अनुसार पढ़ी और लागू की जाएगी। किसी असंगति की स्थिति में अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

राज्यपाल के आदेश से


(पंकज कुमार)

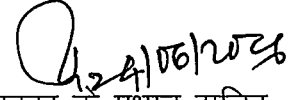
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5818886

पटना, दिनांक 24.06.26

ग्रा0वि0 07 (वीबी-जी राम जी)-07/2026

प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



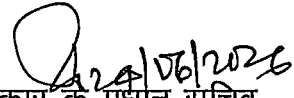
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5818886

पटना, दिनांक 24.06.26

ग्रा0वि0 07 (वीबी-जी राम जी)-07/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



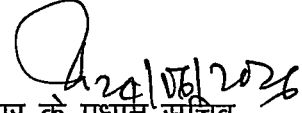
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5818886

पटना, दिनांक 24.06.26

ग्रा0वि0 07 (वीबी-जी राम जी)-07/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी/मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली मिशन/निदेशक सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



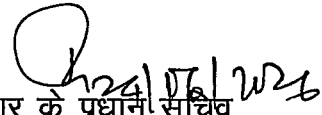
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5818886

पटना, दिनांक 24.06.26

ग्रा0वि0 07 (वीबी-जी राम जी)-07/2026

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5818886

पटना, दिनांक 24.06.26

ग्रा0वि0 07 (वीबी-जी राम जी)-07/2026

प्रतिलिपि:- आई.टी. प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोडिंग हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव